बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड
Bihar State Power (Holding) Company Limited
(निबंधित कार्यालय : प्रथम तल, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना)
(Regd. office: 1st Floor Vidyut Bhawan, Bailey Road, Patna)
TIN VAT No.-10011255025 CIN-U40102BR2012SGC018495
website: www.bsphcl.bih.nin.in
Department of General Administration

संकल्प संख्या 1579 / दिनांक 23/10/18 /
H-I/Misc.-3015/2015

विषय :– बिहार सेवा नियमावली 1976 की कंडिका 69 (i) में संशोधन के संबंध में।

बिहार सेवा नियमावली 1976 की कंडिका 69 (i) में पदाधिकारियों के वेतनवृद्धि संबंधित निम्न प्रावधान किया गया है :–

"Annual increments of employees, who join the service of the Board and who are promoted given selection grade after the commencement of these Regulations shall fall due on 1st January and 1st July each year. If an employee joins or is promoted at any time between 1st January and 30th June of a calendar year, his first increments shall fall due on 1st of January of the following year and all subsequent increments on the anniversary of that date. If an employee joins or is promoted at any time between 1st July and 31st December of a calendar year, his first increment shall fall due on 1st July of the following year and all increments on the anniversary of that date."

2. वैसे सहायक विद्युत कार्यपालक अभियन्ता जिन्हें दिनांक – 01.01.2009 के पूर्व एक हीं पद पर लगातार 14 वर्षो की सेवावधि के उपरान्त विद्युत कार्यपालक अभियन्ता (प्रवर कोटि) (ग्रेड पे–7750) का वेतनमान प्रदान किया गया है, की प्रोन्नति विद्युत कार्यपालक अभियन्ता (ग्रेड पे–6650) के रूप में देने के फलस्वरूप प्रोन्नत पद पर वेतन निर्धारण का लाभ नहीं मिलने एवं उपर्युक्त नियम 69 (i) के तहत वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि परिवर्तित हो जाने की स्थिति में उन अभियंताओं का वेतन कनीय से कम हो जाने के कारण वेतन विषमता को दूर करने के लिए बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के संकल्प संख्या 1732 दिनांक 20.12.2016 (अनु0–1) द्वारा बिहार सेवा नियमावली 1976 के विनियम 69 (i) को निम्न रूप से संशोधित किया गया :–

"The scale of pay and date of increment of such officers who are already getting higher scale of pay of EEE (Selection Grade) in lower post of A.Ex.E/AEE and subsequently promoted to the regular post of EEE, the scale of pay shall remain protected and the date of increment of such officers shall remain the same which they were getting prior to their promotion."

3. परन्तु कतिपय मामलों में पाया गया कि सहायक विद्युत अभियन्ता के पद पर 08 वर्षो की लगातार सेवा के उपरान्त प्रथम कालबद्ध वेतनमान का लाभ प्राप्त होने एवं कालान्तर में विद्युत कार्यपालक अभियन्ता के पद पर समान वेतनमान में दिये गये प्रोन्नति के कारण वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं प्राप्त होने तथा नियम 69 (i) के तहत प्रोन्नति के फलस्वरूप वेतन वृद्धि की तिथि परिवर्तित हो जाने के कारण उत्पन्न वेतन विषमता का मामला उपर्युक्त संशोधन से अच्छादित नहीं हो पाता है।

4. अतः उपर्युक्त पारा–3 से संबंधित मामलो में उत्पन्न वेतन विषमता के निवारण हेतु दिनांक–10.10.2018 को सम्पन्न निदेशक मंडल की 64वी बैठक में संकल्प संख्या 64–06 द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार सेवा नियमावली 1976 की कंडिका 69 (i) को पुनः निम्न रूप से संशोधित किया जाता हैः–

"The scale of pay and date of increment of such officers who are already getting higher scale of pay i.e. scale of pay of EEE by virtue of 1st time bound or scale of pay of Electrical Executive Engineer (Selection Grade) by virtue of 2nd time bound in lower post of A.Ex.E/AEE and subsequently promoted to the regular post of EEE, the scale of pay shall remain protected and the date of increment of such officer shall remain the same which they were getting prior to their promotion."

बि0स्टे0पा0(हो0)क0लि0 के आदेश से,

23/10/18

(राजीव रंजन सिन्हा)

महाप्रबन्धक (मानव संसाधन / प्रशासन)

ज्ञापांक 1580 पटना / दिनांक 23/10/18 /

प्रतिलिपि : सभी महाप्रबंधक (मा0सं0 / प्रशा0) / सभी महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता / सभी मुख्य अभियंता / सभी महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) / प्रधान राजस्व कोषांग, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड / सभी उप महाप्रबंधक–सह–विद्युत अधीक्षण अभियंता / सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता / सभी उप महाप्रबंधक (मा0 सं0 / प्रशा0) / उप महाप्रबंधक (कार्मिक) / सभी उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) / उप महाप्रबंधक (आई0टी0) / सभी विशेष कार्य पदाधिकारी / सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता / विधि परामर्शी / उप महाप्रबंधक (जन सम्पर्क) / सभी वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) / डी0 बी0 ए0, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड / सभी लेखा पदाधिकारी / सभी लेखा पदाधिकारी (स्थापना) / सभी अवर सचिव / कंपनी सचिव, बी0एस0पी0एच0सी0एल0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप महाप्रबंधक (आई0टी0) से अनुरोध है कि उक्त आदेश को कंपनी के वेवसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।

23/10/18

(राजीव रंजन सिन्हा)

महाप्रबन्धक (मानव संसाधन / प्रशासन)

ज्ञापांक 1580 पटना / दिनांक 23/10/18 /

प्रतिलिपि, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के तकनीकी सचिव / प्रधान आप्त सचिव, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड / प्रबंध निदेशक, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के विशेष कार्य पदाधिकारी / प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड / प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड के विशेष कार्य पदाधिकारी / प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के विशेष कार्य पदाधिकारी / निदेशक (प्रशासन) के आप्त सचिव, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/10/18

(राजीव रंजन सिन्हा)

महाप्रबन्धक (मानव संसाधन / प्रशासन)